//

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, नया रायपुर छत्तीसगढ़

Directorate of Town & Country Planning, Naya Raipur Chhattisgarh

मुख्यालय
इन्द्रावती भवन,ब्लाक–4,तृतीय तल,
नया रायपुर
दूरभाष – 0771–2511851
फैक्स – 0771–2511854
Email : cg_townplan@hotmail.com
Email : cgtownplan@gmail.com

HEAD OFFICE :
Indrawati Bhawan, Block-4 3rd Floor,
Naya Raipur
Tel. - 0771-2511851
Fax: - 0771-2511854
Email : cg_townplan@hotmail.com
Email : cgtownplan@gmail.com

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक............/02/2017

कमांक/ /स्था–28/नग्रानि./2016, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश (छ0ग0) नया रायपुर के अंतर्गत सहायक वर्ग–3 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के ज्ञापन कमांक एफ 6–41/2012/1/एक, दिनांक 25.11.2016 द्वारा प्राप्त चयनित सूची के आधार पर विभागीय चयन समिति द्वारा अनुशंसा किए जाने के उपरांत निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ कमांक–2 में उल्लेखित अभ्यर्थियों को सहायक वर्ग–3 (लिपिकीय संवर्गीय) के पद पर वेतन बैण्ड रूपये 5200–20200 तथा ग्रेड वेतन 1900 एवं शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते, में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाकर उनकी पदस्थापना सारणी के स्तम्भ कमांक–3 में दर्शाए गए कार्यालय में की जाती है :–

क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	पदस्थापना कार्यालय	चयनित प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री गेंदलाल देवांगन, पिता श्री रामाधार देवांगन	संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर	अ.पि.व.
2	श्री अजय प्रताप तिग्गा, पिता श्री जोवाकिम तिग्गा	संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती नया रायपुर	अ.ज.जा.

सहायक वर्ग–3 की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :–

01. परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य संपादन संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है अथवा सेवा समाप्त की जा सकती है।
02. अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से 15 दिवस के अंदर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा। इस संबंध में कार्यालय से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
03. अभ्यर्थियों की नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है। अतः अभ्यर्थीगण जिला/राज्य मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट संबंधित कार्यालय के सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने के समय अथवा एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाए जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

कमशः...2

D:\ BALRAM T&CP\TCP 2017\Estha 01.01.2017

04. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। कोई विपरीत टीप/अपराधिक प्रकरण लंबित होने पर अभ्यर्थी की सेवांए तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

05. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा नियुक्ति किसी भी समय किसी भी पक्ष की ओर से बिना कोई कारण बताए एक माह की पूर्व सूचना एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी।

06. अभ्यर्थी द्वारा शासकीय सेवा छोड़ने के पूर्व एक माह की नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह के वेतन एवं भत्ते के भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कंडिका 5 के अंतर्गत देय रकम संबंधित से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

07. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक संवर्ग) सेवा तथा भर्ती नियम 2008 एवं संशोधित भर्ती नियम 2015, छ०ग० सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत शासित होंगे।

08. अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय को नियुक्ति पूर्व दी गयी कोई भी जानकारी एवं प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

09. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण के नियमों एवं आदेशो का पालन किया गया है एवं रोस्टर संधारित किया गया है ।

10. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3, रायपुर दिनांक 16.03.2012 अनुसार, की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका कमांक रिट पिटी. (सी) 591/2012 याचिका कमांक रिट पिटी. (सी.) 592/2012 याचिका कमांक रिट पिटी. (सी.) 593/2012, याचिका कमांक रिट पिटी. (सी.) 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

11. अभ्यर्थी यदि किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/शिक्षाकर्मी इत्यादि की सेवा में कार्यरत् हो तो उन्हे संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी त्याग पत्र स्वीकृति संबंधी आदेश पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. नियुक्त अभ्यर्थी पर सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, इन पर राज्य शासन द्वारा 1 नवंबर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

(नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी आयुक्त सह-संचालक द्वारा आदेशित)

(एम.के. गुप्ता)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
नया रायपुर छ०ग०

कमशः...3

पृ0क्रमांक / 624 / स्था–28 / नग्रानि. / 2016 नया रायपुर, दिनांक 21 / 02 / 2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ।

01. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।

02. सचिव, छ0ग0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

03. अवर सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय को ज्ञापन कमांक 6–41 / 2012 / 1 (एक), नया रायपुर दिनांक 25.11.2016 के तारतम्य में सूचनार्थ।

04. महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर ।

05. कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय, नया रायपुर (छ0ग0)

06. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह–मुख्य अस्पताल अधीक्षक छत्तीसगढ़

07. लेखा कक्ष प्रभारी, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, नया रायपुर छ0ग0

08. सहायक प्रोग्रामर, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, नया रायपुर को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।

09. व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।

10. अभ्यर्थी श्री गेंदलाल देवांगन, पिता श्री रामाधार देवांगन, पता–11 / 353, मच्छी तालाब, गुढ़ियारी, रायपुर–492011, जिला–रायपुर मो–9575651169 ईमेल– gauravk308@gmail.com छग0 को पालनार्थ।

11. अभ्यर्थी श्री अजय प्रताप तिग्गा, पिता श्री जोवाकिम तिग्गा पता–मकान नं. 375, आई.टी.आई. रामपुर, कोरबा–495677, जिला–कोरबा ईमेल– ajayp.tigga@gmail.com छग0 को पालनार्थ।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
नया रायपुर छ0ग0

D:\ BALRAM T&CP\TCP 2017\Estha 01.01.2017